

क्र.सं.	दिनांक आदि या कार्यवाही
	<p>पत्रावली पर हुई अधिवक्ता सच द्वारा उपरोक्त कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 01/11/22 पर हुई</p>
01/11/22	<p>पत्रावली पर हुई। वकील उमर पर 300 अधिवक्ता के आपत्ति श्री. जम पर प्रणी वकील के जवाब पर, न कर ली थी वहाँ की। वकील उमर पर की वहाँ की 20/11/22 पर वापस माँटे। आपत्ति श्री. जम हेतु दिनांक 11/11/22 को पर है।</p>
11/11/22	<p>पत्रावली पर हुई अधिवक्ता सच द्वारा उपरोक्त कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/11/22 पर हुई</p>
15/11/22	<p>पत्रावली पर हुई। वकील उमर पर 300 पत्रावली पूर्वानुसार को ली/जम दिनांक 35/11/22 को पर है।</p>
25/11/22	<p>पत्रावली पर हुई अधिवक्ता सच द्वारा उपरोक्त कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/11/22 पर हुई</p>
29/11/22	<p>पत्रावली पर हुई। वकील उमर पर उपरोक्त पत्रावली पर शारिक आपत्ति जालिया पर का जवाब हेतु दिनांक 21/11/22 अधिवक्ता सच आपत्ति जालिया पर को शारिक क(ग) उक्ति लपटा है।</p>

फर्द अहकाम

भागवान बनाम दीर

उपखण्ड अधिकारी जयवाराणगर

9/122

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>महो. आपाने ज.प.ज जोषणीत गरी होत ले माझीकडे कर शोधित दिवस जात ही तबळ जयवाराणगी का उपखण्डेकरा कित्या गळ्या जयवाराणगी से माझीकडेची शासिल पोका तपोती कायत माझीकडे कित्या गळ्या जयवाराणगी का उपखण्डेकरा करत पर आपुणे के ज.प.ज धा. 128 एल. मा. एक मने कोकरा करत अन्वित जयवाराणगी महो. आपुणे का ज.प.ज धारा 128 एल. मा. एक का स्वीकार कित्या जात ही विस्तृत विषय ले लिख जयवाराणगी शासिल कित्या जात ही जयवाराणगी कोकरा उपखण्ड होकर 128 एल. मने कर हे नवळ धा. 128 धरि होकर शासिल करत हो</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जयवाराणगर, जिला-जयपुर

जयवाराणगर, जिला-जयपुर
उपखण्ड अधिकारी
1/122

ने 30/12/22